



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

558523

13

12 FEB 2008

आवश्यकता होगी तो उसको प्रथम पक्ष विक्रेता समयानुसार पूर्ण रूप से पाबन्द रहेंगे। कोई आपत्ति न होगी। यदि आज की तिथि से पूर्व का कोई ड्यूज या लगान विक्रित भूमि पर बकाया पाया जायेगा तो उसको चुकता करने का भार हम विक्रेता के जिम्मे होगा और आज की तिथि के बाद समस्त ड्यूज एवं लगान को स्वयं क्रेता वहन करेंगे। कोई आपत्ति न होगी। उपरोक्त खसरा नम्बरान में विक्रेता देवेन्द्र सिंह व सुरेन्द्र सिंह ने अपने समस्त 1/18 भाग की भूमि व अनिल कुमार ने अपने 1/36 भाग में से अवशेष भूमि 0.0114 हे० भूमि विक्रय की है। हम विक्रेतागण ने

13

देवेन्द्र सिंह

अनिल कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14



उत्तर पूर्वी दिशा में जहां पर हमारा कब्जा था, उसी भूमि पर क्रेता का कब्जा करा दिया है, जो कि ग्राम मुकररबपुर पल्हेड़ा की सीमा से मिली हुई है। अब अपने समान इसी भूमि पर क्रेता द्वितीय पक्ष का कब्जा हमने करा दिया है जिसमें किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है और न भविष्य में होगी। अब विक्रेतागण का उक्त खसरा नम्बर में कोई अंश शेष नहीं रहा है। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रित भूमि अथवा उसका कोई अंश क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या विक्रित भूमि पर कोई ऋण या भार आदि पाया जायेगा या यह बैनामा किसी

14

द्वे-समिष्ट

अनिल कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

558525

. 15 .



न्यायालय से खण्डित अथवा मन्सूख करार पा जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में क्रेता के विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी स्थिति हो, मय हर्जा व खर्चा व भविष्य में लगाई लागत सहित वापिस चुकता करने का भार प्रथम पक्ष विक्रेता तथा उनके उत्तराधिकारी सहित उनकी चल व अचल सम्पत्ति समस्त प्रकार पर रहेगा। कोई आपत्ति न होगी।

द्वे-आर
15
अर्धत सुभा
[Signatures and stamps]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

558526

16 12 FEB 2008

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद हो और उचित समय पर काम आवे। इति।

भूमि किस्म सेवटा अव्वल आबी है।

विक्रेता अनुसूचित जाति से नहीं है।

विक्रित भूमि कृषि भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में दर्ज है और वर्तमान में कृषि हो रही है।

16

देवेन्द्र सिंह

सिंह

अनिल कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

558527

17

12 FEB 2008

विक्रित भूमि में कोई बाग या पेड़ व बोरिंग आदि नहीं है।

दिनांक: 13.02.2008 तेरह फरवरी सन दो हजार आठ ई०।

मसविदा: जिनेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट, सरधना जिला मेरठ
Jinendra Kumar Jain
ADVOCATE
TEHSIL SARIDHANA (MEERUT)

देव-शर्मा



शर्मा



म. ल. कुमार



शर्मा

Sh. M.S. Tyagi
S/o Sh. M.S. Tyagi
41. Chaudhary Prasad
Roorkee Raoul Meerut

17

Jinendra Kumar Jain
ADVOCATE
TEHSIL SARIDHANA (MEERUT)